भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 677

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल की कमी

677. श्री गौरव गोगोई:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू-जल की उपलब्धता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पानी की कमी धीरे-धीरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुद्दा बनती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए पानी की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूर्वोत्तर भारत सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त रूप से देश के डॉयनेमिक भूजल संसाधन का मूल्यांकन नियमित आधार पर किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों के दौरान किए गए आकलन के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के वर्ष-वार और राज्य-वार वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	राज्य	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (बिलियन क्यूबिक मीटर)				
		2023	2022	2020	2017	2013*
1	अरुणाचल प्रदेश	4.16	4.07	2.916	2.67	3.99
2	असम	20.93	21.4	21.966	24.26	28.9
3	मणिपुर	0.466	0.47	0.46	0.39	0.42
4	मेघालय	1.51	1.51	1.82	1.64	2.98
5	मिजोरम	0.2	0.2	0.2	0.19	0.035

6	**नागालैंड**	0.54	0.71	1.95	1.98	1.75
7	**त्रिपुरा**	1.09	1.064	1.245	1.24	2.26
8	**सिक्किम**	0.218	0.244	0.864	1.52	आकलन नहीं किया गया
कुल		**29.114**	**29.668**	**31.421**	**33.89**	**40.335**

*वर्ष 2013 का भूजल संसाधन मूल्यांकन जीईसी-1997 पद्धति के आधार पर किया गया था। तदुपरांत इसे संशोधित कर जीईसी-2015 पद्धति से प्रतिस्थापित पर किया गया जिसका उपयोग वर्ष 2017 से संसाधन मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है।

(ख), (ग) और (घ): सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में भूजल संसाधनों के महत्व से अवगत है। तथापि जल राज्य का विषय है, भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थित करती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 89,596 वर्ग किलोमीटर के समस्त मैपिंग योग्य क्षेत्र सहित देश के समस्त मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नेक्यूम) परियोजना पूरी कर ली गई है। जलभृत्त मैप और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और इसे कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया । इन प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को शामिल करते हुए एक वृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 5.4 लाख संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने का कार्य जारी हैं।

- कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा देश में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पीडीएमसी मुख्य रूप से उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सटीक/सूक्ष्म सिंचाई और खेत स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। पीडीएमसी केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

- भूमि संसाधन विभाग द्वारा पीएमकेएसवाई योजना (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में झरनों के पुनुरुद्धार को महत्व दिया जाता है।

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून के अधिनियमन के उद्देश्य से एक मॉडल बिल उपलब्ध कराया गया है। अब तक पूर्वोत्तर राज्यों असम और नागालैंड सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल अधिनियम को अपनाया और कार्यान्वित किया गया है। इस मॉडल बिल में शहरी क्षेत्रों में भवनों की छतों और अन्य खुले क्षेत्रों से उपलब्ध वर्षा जल का भू-जल पुनर्भरण के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग करने की परिकल्पना की गई है । शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं में पुनर्भरण पिट, ट्रेंच, मौजूदा नलकूप अथवा खुले कूप आदि शामिल हैं।

- देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा दिनांक 24.09.2020 के अपने दिशानिर्देशों, जिनकी अखिल भारतीय प्रयोज्यता है, के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी कर देश में भूजल निष्कर्षण एवं इसके उपयोग का विनियमन किया जाता है।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन एवं जल के संरक्षण, नदियों के संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नदी निकायों एवं अवसंरचनाओ की वैज्ञानिक रूप से आयोजना पर बल दिया गया है।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किया गया। इस उपनियम में 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले सभी प्रकार के प्लॉटों पर निर्मित भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई हैं। अब तक, 35 राज्यों द्वारा अपने संबंधित भवन उपनियमों में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है।

  उपर्युक्त के अतिरिक्त , भारत सरकार द्वारा देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पहलें की हैं जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है - *https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/*

******